मुन्तकिली प्रकरण सं0 22/2017 अनवानी 1–अन्ग्रेज सिंह पुत्र बन्ता सिंह 2–नन्दराम पुत्र बन्ता सिंह जाति बावरी निवासीगण चक 9 जीडीए तहसील घड़साना बनाम बनवारीलाल पुत्र लालूराम जाति नायक निवासी चक 9 जीडीबी तहसील घड़साना 2–ज्ञानसिंह पुत्र अन्ग्रेज सिंह 3–उपखण्ड अधिकारी घड़साना 4–तहसीलदार, घड़साना 5–हरजीतसिंह पुत्र रवि सिंह 6–पूर्णराम पुत्र दयालराम।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.05.2017

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह उपस्थित है, उनके द्वारा फहरिस्त सूचि के साथ प्रस्तुत फर्दअहकाम की प्रतिलिपि शामिल पत्रावली की गई। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 9 जी.डी.बी. के मु0न0 4/14 व 4/22 के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर उक्त मुरब्बो के प्रत्येक किला न0 21 ता 25 में चक प्लान के मुताबिक 2–2 विस्वा रास्ता का अंकन जो पूर्व में बिना किसी आदेश के सहवन से हटा दिया था को पुनः राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण सं0 48/2016 अनवानी बनवारीलाल वगैरा बनाम अन्ग्रेजसिंह वगैरा के रूप में दर्ज हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विस्तृत जबाब दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया। जिनके आधार पर उक्त प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नही आता है। इसके बावजूद भी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जो गैर कानूनी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, घड़साना के हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई और उक्त रिपोर्ट दिनांक 15.10.2016 के प्रथम पृष्ठ पर मुरब्बा नंबरो में कांट छांट करके ओवर राईटिंग की गयी है जिस पर पटवारी हल्का के लघु हस्ताक्षर नही है और इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट की द्वितीय पृष्ठ के उपर प्रथम पैरा में हल्का पटवारी की रिपोर्ट पूर्ण होने के बाद लाईन जोड़ी गई है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने मनमाने ढंग से रिपोर्ट तैयार करवाई है। इसलिए भी उन्हे अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने की संभावना नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि हल्का पटवारी 22 एम.डी. द्वारा दिनांक 15.10.16 को रिपोर्ट दी गई, जिस पर उसके हस्ताक्षर है व इसी दिनांक 15.10.16 को पटवारी हल्का द्वारा पुनः रिपोर्ट दी गई, जबकि इस बारे में तहसीलदार, घड़साना व उपखण्ड अधिकारी घड़साना का कोई आदेश नही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने संबंधित अधिकारियों को अपने प्रभाव में ले रखा है और उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण के प्रभाव में किसी प्रकार की विधिक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकिया नही अपना रहे है और पक्षकारो का जबाब लेने के बाद पत्रावली सीधे ही बहस पर नियत कर दी गयी है। साक्ष्य का कोई अवसर नही दिया जा रहा है।

उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण के रकबा में कोई भी रास्ता स्वीकृत नही था। मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2034–37 के प0न0 4/14 व 4/22 के कि0न0 21 ता 25 में 2–2 विस्वा रकबा कम अंकन किया गया है। रकबा कम दर्शाने संबंधी कोई आदेश नही है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2038–41 के पथर न0 4/14 व 4/22 प्रत्येक के किला न0 21ता25 में रकबा सालम–2 बीघा का अंकन किया हुआ है जबकि सालम करने का कोई आदेश नही था ऐसा ही जबाब अप्रार्थी सं0 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। उक्त रकबा में कभी कोई रास्ता नही था त्रुटीवश ही रकबा पहले कम दर्ज हुआ और बाद में पूर्ण दर्ज हो गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण किसी प्रकार से धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नही आता है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी से प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है क्योंकि अप्रार्थीगण ऐलानिया कह रहे कि फैसला उनके हक में ही होगा। इसलिए प्रकरण सुनवाई हेतु स्वीकार किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं0 40/2016 अनवानी बनवारीलाल वगैरा बनाम अन्ग्रेज सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण का गुण दोष के आधार पर कोई निर्णय नही किया जाना है बल्कि केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण को मुन्तकिल किया जावे या न किया जावे, इस बिन्दु पर ही विचार किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा जो उक्त कथन किये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम से संबंधित है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना उचित नही है। मामले को अन्तरण करने के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि अगर प्रकरण को मुन्तकिल नही किया गया तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय होगा। ऐसा कोई आधार नही है। केवलमात्र यह कहना कि अप्रार्थीगण ऐलानिया कह रहे कि फैसला उनके पक्ष में होगा, पर्याप्त नही है। अतः इस आधार पर कोई कार्यवाही करना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

983/1-5-17

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर